HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 11174/2026
URN: CW / 24811U / 2026

Shree Prakash S/o Shree Murlimanohar Mishra

----Petitioner

Versus

Murlimanohar Mishra S/o Shree Sitaram Mishra

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Abhi Goyal
For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

03/07/2026

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकार के पिता श्री मुरलीधर मिश्रा/अयाची संख्या–1 द्वारा धारा–5 ''माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007'' के प्रावधानों के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे उक्त न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.8.2025 को स्वीकार करते हुए प्रार्थी/अयाची संख्या–1 के तीनों पुत्रों, जिसमें याची श्रीप्रकाश भी शामिल है, प्रत्येक को तीन–तीन हजार रूपये प्रार्थी/अयाची संख्या–1 को प्रतिमाह दिए जाने का आदेश दिया तथा साथ ही याचिकाकार/अप्रार्थी संख्या–2/ को सीकर नगर में महामंदिर रोड पर नया दूजोद गेट से लाल प्याउ के मध्य पश्चिम में अवस्थित पैतृक पट्टाशुदा आवासीय सम्पदा में प्रार्थी के हक, अधिकार और स्वामित्व के कमरे व रसोई को 30 दिवस में की अवधि में खाली कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किए जाने का निर्देश दिया गया। उनका तर्क है कि इस आदेश में पैतृक सम्पत्ति के कमरे व रसोई को 30 दिवस में की अवधि में खाली कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किए जाने के निर्देश के विरूद्ध याचिकाकार की ओर से इस अधिनियम की धारा–16 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील जिला कलक्टर, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 4.6.2026 के माध्यम से निरस्त कर दी गई। उनका तर्क है

कि याचिकाकार आरम्भ से ही उक्त पैतृक सम्पत्ति में अपने पिता के साथ निवास कर रहा है तथा ''माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007'' की धारा–5 की कार्यवाही के अन्तर्गत याची को सम्पत्ति से अधिनिष्कासन सम्बन्धी आदेश नहीं दिया जा सकता तथा ऐसा अनुतोष दिए जाने की अधिकारिता केवल सिविल न्यायालय को है। दोनों आलौच्य निर्णय दिनांक 29.8.2025 तथा 4.6.2026 उक्त अधिनियम के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत तथा विधिविरूद्ध है। अतः अंतरिम स्थगन दिए जाने की प्रार्थना करते है।

विचार किया गया। याचिकाकार द्वारा आदेशिका शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर अयाचीगण को इस याचिका व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

विद्वान अधिवक्ता याचिकाकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए यह अंतरिम आदेश दिया जाता है कि दोनों आलौच्य निर्णयों दिनांक 29.8.2025 तथा 4.6.2026 की क्रियान्विति आगामी तारीख पेशी तक **याचिकाकार द्वारा कमरे व रसोई को 30 दिवस में की अवधि में खाली कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किए जाने की हद तक** स्थगित रहेगी।

(SHUBHA MEHTA),J

35/JITENDRA SINGH PANWAR